न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 173/14 (वाद)

1. श्री हरलाल पिता सवाईराम जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
2. श्री डालु पिता सवाईराम जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री हीरा पिता देवा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
2. श्री रामा पिता देवा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
3. श्री मांगु पिता भेरा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली। तर्क किया।
4. श्री शंकर पिता भेरा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
5. श्रीमती केशी बेवा भेरा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
7. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री हीरालाल बुनकर, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 09.09.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा परिशिष्ट अ की आराजी नम्बर 1445, 1446, 1447 किता 3 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी सं. 1 के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं, परिशिष्ट ब की आराजी नम्बर 1444 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी सं. 2 के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं। परिशिष्ट स की आराजी नम्बर 1449, 1450, 1451, 1452 किता 4 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 से 5 के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। प्रतिवादी सं. 3, 4 का नाम नाबालिग की हैसियत से दर्ज है किन्तु प्रतिवादी सं. 3, 4 पूर्णतया वयस्क हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested

चुके हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमियों एवं संयुक्त खातेदारी के आ.चा. नम्बर 1443 में आने जाने के लिए रास्ता पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज भूमियों मे था लेकिन दौराने सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार एवं आदेश के प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी की भूमि में स्थित रास्ते को खतम कर दिया तथा हमारी खातेदारी की भूमि में रास्ता अंकित कर दिया और प्रतिवादी सं. 1 से 5 की जमीन में जो रास्ता अंकित था उसे प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम पर खाते में दर्ज कर दिया और हमारे खाते में से जमीन कम कर दी। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था।

2. यह कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना किसी आदेश एवं अधिकार के प्रतिवादी सं. 1 से 5 के खातेदारी की जमीन में स्थित रास्ते को हमारी खातेदारी की जमीन में अंकित कर दिया और हमारे खाते की जमीन कम करते हुए प्रतिवादी सं. 1 से 5 के खाते में रास्ते की जमीन दर्ज कर दी जिससे प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम पर 15 बिस्वा ज्यादा जमीन हो गई और हम वादीगण के हिस्सें में कम जमीन रही जबकि मौके पर हम वादीगण बराबर जमीन पर काबिज है लेकिन हमारे कब्जे की भूमि भी प्रतिवादी सं. 1 से 5 हम वादीगण से लडाई झगडा करते रहते हैं और रास्ते की जमीन में से होकर हमारी जमीनों एवं कुंए पर आने जाने में व्यधान पैदा करते हैं। इसलिए हम वादीगण वाद के परिशिष्ट स में अंकित कृषि भूमि में से 15 बिस्वा भूमि हमारे खातेदारी हक की घोषित करा हमारे नाम पर अंकित कराने के अधिकारी हैं। अतः परिशिष्ट स में वर्णित कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज है उसमें से हम वादीगण को 15 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 3 फौत होने से नाम तर्क किया गया। प्रतिवादी सं. 6, 7 राजपेरोकार द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। वादी की एकतरफा साक्ष्य प्रारम्भ की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested

4. वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्री डालु, पीडब्ल्यू–2 श्री कालु पिता भेरा जाट, पीडब्ल्यू–3 श्री गणेश पिता देवीलाल यादव के पेश किये। वादी द्वारा वाद के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराये गये।
5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित मय नजीर RRT 2003 (2) Page 881, RLW 2007 (2) RJ Page 1076, AIR 2019 SC Page 3827 पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
6. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि परिशिष्ट अ मौजा धनेरिया की आराजी नम्बर 1445, 1446, 1447 व 1444 वादीगण के नाम दर्ज हैं। आराजी नम्बर 1449, 1450, 1451, 1452 प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादीगण का यह कथन है कि उसके द्वारा पत्रावली में नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है जिसमें आराजी नम्बर 1443 में जाने के लिए जो रास्ता दर्शा रखा है उक्त रास्ता पूर्व में प्रतिवादीगण की आराजीयात में से होकर जाता था, जो कि उन्हीं की आराजीयात की भूमि से पृथक था जबकि सेटलमेन्ट के दौरान अधिकारियों द्वारा उक्त रास्तें को प्रतिवादीगण की भूमि में मर्ज करते हुए हम प्रार्थीगण की भूमि में से दर्शा दिया है जिस वजह से हम प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रेकार्ड में कम हो गई है एवं प्रतिवादीगण की भूमि राजस्व रेकार्ड में अधिक दर्ज हो गई हैं। दस्तावेजों एवं पत्रावली के अवलोकन से वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि कितना रकबा वादीगण की भूमि में से कम हुआ है जो कि राजस्व रेकार्ड में दर्शाया गया हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादी द्वारा सम्वत् 1984–85, 2023 एवं सन् 1956 का नक्शा ट्रेस पत्रावली में संलग्न कर रखा हैं जिसमें भी नक्शा ट्रेस के अवलोकन से किसी प्रकार की कोई भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं। जिससे रकबे में अन्तर को भी समझा नहीं जा सकता हैं।
7. वादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके आधार पर वादी का कथन की उसकी भूमि कम करके रास्तें में दर्शा दी है एवं प्रतिवादीगण की भूमि को रास्ते से हटाकर खातेदारी में दर्ज करने का साबित हो सके। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रदर्श

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करवाये हैं एवं न ही ऐसा कोई साक्ष्य सबूत आदि पेश किया है जिसके आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करा सके, केवल मात्र कथन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री हरलाल पिता सवाईराम जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
2. श्री डालु पिता सवाईराम जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री हीरा पिता देवा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
2. श्री रामा पिता देवा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
3. श्री मांगु पिता भेरा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली। तर्क किया।
4. श्री शंकर पिता भेरा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
5. श्रीमती केशी बेवा भेरा जाट निवासी धोला का धनेरिया तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
7. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 173/14 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.09.2020 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.15 16:28:05 IST
Reason: SelfAttested